



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या -
डी-2/ई-1/2024
दिनांक 17.10.2024

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 17.10.2024

ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि : 18.11.2024
ऑनलाइन सबमिट आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि : 25.11.2024

अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि
और समय : 02.12.2024 (सायं 05:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण:

- (1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीआर नम्बर प्राप्त कर लें।
(c) ओटीआर नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।
(2) अभ्यर्थीयों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (वया-O.T.R., फीस भुगतान, फाइलन सबमिशन, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटी सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ़ कर वार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु सरक्षित करना सुनिश्चित करें।
(3) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

नोट- (1) अभ्यर्थीयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट के साथ ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वाइटिंग अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियोगी संलग्न कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि के सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा हाथों-हाथ आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें।

आयोग की वेबसाइट पर 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' पर login कर autofilled पता पर्ची को download कर व उसका प्रिन्ट आउट लेकर आवेदन पत्र एवं अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर उसे चर्पा करते हुए आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) लिफाफा A-4 साइज का होना चाहिए। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की विधि में अभ्यर्थी प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग लिफाफे में अपने आवेदन-पत्र एवं अभिलेख प्रेषित करें।

(3) यदि अभ्यर्थी द्वारा autofilled पता पर्ची (Address Slip) लिफाफे पर चर्पा नहीं की जाती है तो आयोग द्वारा उसका अध्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी को होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। (ख) अभ्यर्थीयों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अन्वरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [Website https://uppsc.up.nic.in](https://uppsc.up.nic.in) पर भी उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही कर।

ऑनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थीयों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार ही आवेदन करें।

आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थीयों को ऑनलाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'ऑनलाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा—

प्रथम चरण :- 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि—

(i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके (रजिस्टर्ड मोबाइल नं/ई-मेल पर) अभ्यर्थी O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी है) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो—

a. सर्वथाम आवेदक को आयोग के ओटीआर वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओटीआर नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओटीआर नम्बर प्राप्त करने के पश्चात प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर

'Application Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर विकल करना होगा जिसके पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा। साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हताएं भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर विकल करने के पश्चात 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे—

- (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES- उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट 'Print' लेकर इसे अपने पास सुक्रियत रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर वाला इन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।
- (ii) निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।
- (iii) तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा। जिसकी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
- (iv) अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन नम्बर पर Click कर वाले लिफाफे पर चर्पा करते हुए आयोग कार्यालय को प्रस्तुत होने की विधि में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद के अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटी सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

- (1) अभ्यर्थीयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि / संशोधन विधि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमेनेश्यल, लिंग, जन्मतिथि, ई-डब्ल्यूएस, क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
- (2) अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
- (3) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किया जाना चाहिए कि वे साथ अपरिवर्तन अन्य अभ्यर्थन निरस्त करने की विधि में यह विधि विवरण के संबंध में सम्बन्धी परिवर्तन अन्य अभ्यर्थन निरस्त करने की विधि है। इस सम्बन्ध में त्रुटी सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। अपूर्ण आवेदन पत्र संस्कार तोर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्रावाद स्वीकार नहीं होगा।
- (4) उत्तर प्राप्त के साथ अपरिवर्तन विधि के अनुसार अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिसकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

संस्था की समकक्ष व्यावसायिक अर्हता धारित करता हो। **नोटः—** समकक्ष अर्हता: वास्तुविद् अधिनियम—1972 की धारा—14 की अनुसूची के अनुसार विहित है। (ब) अधिमानी अर्हताएँ:— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **नोटः—** शासन द्वारा जारी कार्यालय—ज्ञाप संख्या—5/2022/18/1/2008/47/ का—2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु—5 (अनारक्षित रिकितयों पर नियुक्ति) के प्राविधानात्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थीयों में एच०एच०, ओ०एल०, बी०एल०, डी०डब्ल्य०, ए०ए०वी० उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे। **पद की संगत सेवा नियमावली** - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग वास्तुविद् सेवा नियमावली, 1992 **उ०प्र० आयुष (आयुर्वेद) विभाग** पद का नाम: रीडर (उपाचार्य), रिकितयों की संख्या—36 विशिष्टतावार रिकितयों की संख्या निम्नवत है:—	क्र०सं०	रीडर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या		---------	------------------------------	---	--------------		1.	कायचिकित्सा	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अ०पि०वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/02		2.	कौमारभूत्य	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/03		3.	रचना शारीर	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/04		4.	क्रिया शारीर	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/05		5.	द्रव्यगुण	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/06		6.	अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद	कुल पद 02 लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/07		7.	रोग निदान	कुल पद 04 लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/08		8.	स्वास्थ्यवृत्त	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/09		9.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/10		10.	शल्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/11		11.	शालाक्य तंत्र	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/12		12.	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/13	**पद का स्वरूप—** समूह—'क', राजपत्रित, वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल—11 (रु 67700—208700), आयु सीमा— न्यूनतम 28 वर्ष, उच्चतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) **शैक्षिक अर्हताएँ:—** (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:— (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य / बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी:— 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ:— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। **नोटः—** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक / यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार / निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **नोटः—** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक / यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार / निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **नोटः—** शासन द्वारा जारी कार्यालय—ज्ञाप संख्या—5/2022/18/1/2008/47/ का—2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु—5 (अनारक्षित रिकितयों पर नियुक्ति) के प्राविधानात्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थीयों में ऑ०ए०, ओ०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्य०, ए०ए०वी० उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे। **पद की संगत सेवा नियमावलीयाँ**	• उ०प्र० राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 • उ०प्र० राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 **उ०प्र० आयुष (आयुर्वेद) विभाग** पद का नाम: प्रोफेसर (आचार्य), रिकितयों की संख्या—19 विशिष्टतावार रिकितयों की संख्या निम्नवत है:—	क्र०सं०	प्रोफेसर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या		---------	------------------------------	---	--------------		1.	कौमारभूत्य	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/14		2.	रचना शारीर	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/15		3.	क्रिया शारीर	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/16		4.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/17		5.	शल्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/18		6.	शालाक्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/19		7.	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/20	**पद का स्वरूप—** समूह—'क', राजपत्रित, वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल—12 (रु 78800—209200), आयु सीमा— न्यूनतम 30 वर्ष, उच्चतम 50 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) **शैक्षिक अर्हताएँ:—** (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:— (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य / बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी:— 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ:— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। **नोटः—** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक / यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार / निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **नोटः—** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक / यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार / निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **नोटः—** शासन द्वारा जारी कार्यालय—ज्ञाप संख्या—5/2022/18/1/2008/47/ का—2/2022, द

on "Submit" button to finally push data into server with successful submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS

:- ALL NOTIFICATION / ADVERTISEMENTS

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

:- CANDIDATE REGISTRATION

:- FEE DEPOSITION / RECONCILIATION

:- SUBMIT APPLICATION FORM

:- MODIFY SUBMITTED APPLICATION

:- CANDIDATE DASHBOARD (OTR BASED)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

:- DOUBLE VERIFICATION MODE

:- VIEW APPLICATION STATUS

:- DOWNLOAD ADMIT CARD

:- PRINT DUPLICATE REGISTRATION SLIP

:- PRINT DETAILED APPLICATION FORM

:- LIST OF APPLICATIONS HAVING ANY OBJECTIONS

:- VIEW ANSWER KEY

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिषिष्ठ-1

उम्रो की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय- समय पर सशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिला अधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य बैठन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उम्रो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उम्रो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/ करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/ गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संरख्यान में लिया गया प्रवेश/ लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/ कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/ लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/ रहूँगी।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिला अधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

(प्रारूप-I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम:

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिस्मृति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए याचन्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी पुत्र/ पति/ पुत्री ग्राम/ कस्बा पोर्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्राप्ति है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्थानिक में नियमित मौजूदा हैं।

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फलैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी जाति के

सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्राप्ति फोटोग्राफ

हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम
पदनाम
जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

(प्रारूप-II)

**आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषण पत्र
स्वयं घोषण पत्र**

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा पोर्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ।
1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वैतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिस्मृति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिस्मृतियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के दायरे में आता/ आती हूँ।
4. मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिस्मृतियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

- I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फलैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विद्यास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/ करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/ गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संरख्यान में लिया गया प्रवेश/ लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/ कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/ लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/ रहूँगी।

**Form-II
Certificate of Disability**

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her _____

(in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

<tbl_r cells="3" ix="3" maxcspan

<p style="text-align: center;">the Certificate)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability</p> </div>	<p style="text-align: center;">भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p>
<p style="text-align: center;">प्रारूप - 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/ खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (दूर्भास्त स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/ खेल- कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p>	
<p style="text-align: center;">प्रारूप - 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/ खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p>	
<p style="text-align: center;">प्रारूप - 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/ खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/ या अतिरिक्त/ संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।</p>	
<p style="text-align: center;">पुरिशिष्ट-2 प्रशासनिक सुधार विभाग, उठप्र० के अन्तर्गत निरीक्षक-राजकीय कार्यालय पद हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप। अनुभव प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र/पुत्री/ पत्नी वर्तमान पदनाम कार्यालय में दिनांक से आज दिनांक तक वर्षों से निरन्तर शासकीय सेवा में मौलिक रूप से कार्यरत हैं। दिनांक से दिनांक तक इनके द्वारा धारित पद एवं सेवा विशुद्ध रूप से राजकीय एवं लिपिकीय है। श्री कार्यालय के मौलिक एवं स्थायी कर्मचारी हैं तथा वर्तमान वेतन मैट्रिक्स लेवल वेतनमान पर कार्यरत हैं। सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर। (पदनाम मुहर सहित)</p>	
<p style="text-align: right;">सचिव</p>	
<p>कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के कार्म- 1 से 4 प्रारूप - 1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/ खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में</p>	